



प्रणाली सुधार/10/2023

पत्र संख्या :20220300708/पीसी/वी1/एन/जे एच एस

प्रधान कार्यालय,  
सतर्कता शाखा  
सूबेदारगंज,  
प्रयागराज

पीसीपीओ/उ. म. रे./प्रयागराज  
मण्डल रेल प्रबन्धक  
उ. म. रे., प्रयागराज, झाँसी, आगरा

दिनांक: 19.04.2023

**विषय :** उत्तर मध्य रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज करने, उपस्थिति पंजिका/मस्टर रोल को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर क्लोज करने व कटिंग/ओवरराइटिंग के संबंध में।

उत्तर मध्य रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त विषय पर उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मंडल के डिपो/कार्यालय में किए गए सतर्कता निवारक जांच के दौरान यह संज्ञान में आया कि उक्त डिपो में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में उनके हस्ताक्षर न कराकर उनके नाम के कालम में पर्यवेक्षकों द्वारा उपस्थिति/अनुपस्थिति 'P'/'A' लिखकर दर्ज की जाती है जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि वास्तव में कोई कर्मचारी उक्त कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित हुआ है या नहीं। इस कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका पर स्वयं कर्मचारियों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाना चाहिए जो कर्मचारी व पर्यवेक्षक दोनों के हित में उचित प्रतीत होता है।

उक्त उपस्थिति पंजिका पर किसी पर्यवेक्षक/अधिकारी द्वारा उक्त कार्यदिवस में उपस्थित/अनुपस्थित कुल कर्मचारियों की संख्या लिखकर एवं अपने हस्ताक्षर करके क्लोज भी नहीं किया जा रहा है, जिससे किसी कर्मचारी के किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय न आने की स्थिति में, उक्त पंजिका में उसके नाम के सम्मुख/कालम को उस दिवस विशेष में यदि खाली छोड़ दिया जाता है तो बाद में manipulate करते हुए उसकी उपस्थिति दर्ज/मार्क करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित समय पर हस्ताक्षर उपरांत कुल उपस्थित/अनुपस्थित, अवकाश, सहित कर्मचारियों की संख्या दर्शाते हुए पर्यवेक्षक के तिथि सहित हस्ताक्षर होना उचित होगा।

उक्त मस्टर रोल/ उपस्थिति पंजिका पर कटिंग/ओवरराइटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग पाया गया है जिससे यह दर्शाता है कि मस्टर रोल/उपस्थिति पंजिका में manipulate की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, इस कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पूर्णरूप से कटिंग/ओवरराइटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित किया जाना चाहिए जो कर्मचारी, पर्यवेक्षक एवं प्रशासन के हित में उचित प्रतीत होता है। ऐसी कमियाँ हो सकती हैं कि अन्य यूनिट्स में भी हो रही होंगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में मौजूदा विभिन्न दिशा निर्देशों को सभी संबंधित इकाइयों में समय समय पर ड्राइव का आयोजन कराने हेतु निर्देशित करने कि व्यवस्था करें जिससे कि उक्त के संबंध में हो रही अनियमितताओं को सुधारा जा सके।

इसे वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

*Handwritten Signature*  
( हरीश कुमार )  
उप मुख्य सतर्कता अधि.यां.